पत्रांकः–बि0रा0खा0आ0– 08/2024(परि0)–488

बिहार सरकार
बिहार राज्य खाद्य आयोग

19–20/84, ऑफिसर्स फ्लैट,
न्यू पुनाई चक, पटना–23

प्रेषक,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सभी।

अति–महत्वपूर्ण

खाद्य, पटना/दिनांकः 27.11.24

विषयः– **राशन कार्ड के त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग के संज्ञान में कतिपय ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं जिसमें किसी राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम जुड़ा हुआ है एवं बाहरी व्यक्ति के द्वारा ही राशन का उठाव किया जा रहा है। किसी एक राशन कार्ड के सभी सदस्यों में से कतिपय सदस्य अपात्र हैं अथवा हो चुके हैं अथवा मृत हो चुके हैं परन्तु उनका नाम राशन कार्ड में रहने के कारण उनके राशन का भी उठाव किया जा रहा है। कई अपात्र परिवारों का भी राशन कार्ड बना हुआ है।

अतः निदेश है कि अपने अधीनस्थ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए कि अपने प्रखंड अन्तर्गत सभी राशन कार्ड की सघन जाँच करते हुए ऐसे त्रुटियों का परिमार्जन करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

27/11/24

सदस्य सचिव।

D:\Aayog.Doc